



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-५) विभाग

सं.प.७(२७)कार्मिक/क-५/९३

जयपुर, दिनांक:- २३-०७-९९

१- समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर्स सहित)

२- राज्य संचालित उपक्रम/नियम/बोर्ड व स्वायत्तशाशी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक/सचिव।

परिपत्र

विषय:- राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण।

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. १५(७०)कार्मिक/क-५/७८ दिनांक २.६.७९ एवं समसंब्यक्त परिपत्र दिनांक १८.७.९४ के द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों हेतु आरक्षण पदों पर भर्ती किये जाते सम्बद्ध नियोजन कार्यालय एवं समाज कल्याण विभाग से प्राप्त सूची के प्रत्याशियों के अतिरिक्त उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया जावे जिन्होंने कि अपने प्रार्थना-पत्र (उक्त जाति का होने का प्रमाण पत्र सहित) सौंधो ही नियोजन अधिकारियों को प्रस्तुत किये हों तथा तीनों सूचियों के प्रत्याशियों में से योग्यता के आधार पर चयन करने सम्बन्धी निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त संदर्भित परिपत्रों के अधिक्रमण में इन वर्गों हेतु आरक्षण पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

- १- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों का समाज कल्याण/नियोजन कार्यालयों में पंजीकरण आवश्यक है।
- २- समस्त विभागाध्यक्ष, नियुक्तिकर्ता अधिकारीगण एवं राज्य संचालित उपक्रमों/नियमों एवं स्वायत्तशाशी संस्थाओं के नियुक्तिकर्ता अधिकारीगण भविष्य में सौंधी भर्ती द्वारा अर्थ जान वाले सभी आरक्षण पदों के ग्रिवत होने की सूचना, समाज कल्याण विभाग/नियोजन विभाग को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे, जिससे कि उक्त विभागों में सृजित प्रक्रोष्टी में पंजीकृत प्रत्याशियों को भी नियोजन के सभी अवसरों का लाभ पाना हो सके।
- ३- आरक्षण पदों पर भर्ती हेतु समाज कल्याण विभाग/नियोजन विभाग के उक्त प्रक्रोष्ट के प्रभारी से प्रत्याशियों की सूची मांगी जावे। इसके अतिरिक्त उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया जावे जिन्होंने कि अपने प्रार्थना पत्र (उक्त जाति का होने का प्रमाण पत्र तथा समाज कल्याण विभाग/नियोजन कार्यालय में पंजीकरण संब्या सहित) सौंधे नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को प्रस्तुत किये हों अर्थात् तीनों सूचियों,

नियोजन कार्यालय, समाज कल्याण विभाग एवं नीधी हो पान पार्टी से चयन योग्यता के आधार पर किया जाता।

- 4- उत्तम प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में आने वाले पदों, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर भरे जाने वाले पदों तथा एटोनेन्स में भरे जाने वाले पदों पर लूप नहीं होती।

अतः कृपया अपने अधीनस्थ समस्त नियोजन अधिकारियों को भी उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

Aes

(सुधीर भार्गव)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रीष्ठ है:-

- 1- सचिव, महाराहिम राजस्थान लोक सेवा आयोग
- 2- सचिव, मननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, समस्त मंत्री/ राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5- समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव।

Ram
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रीष्ठ है:-

- 1- सचिव, लोकाध्युक्त सचिवालय, जयपुर।
- 2- सचिव, राजस्थान विधान मभा, जयपुर।
- 3- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4- निवन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
- 5- निवन्धक, राजस्थान मिलिं सेवा अधीकरण, जयपुर।
- 6- गोप्ता प्रश्नकाली

Ram
शासन उप सचिव